न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/270
दायरा तिथि : 15.07.2022
फैसला तिथि : 21-12-22

प्रार्थी:-
प्रतापसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-
1. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित........................ अभिभावक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार .... नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

-:: आदेश ::- दिनांक 21-12-22

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम शिवतलाव तहसील बाली मे धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1404, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 कुल खसरा 14 कुल रकबा 4.0500 हैक्टर मे **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम पृथ्वीराज पुत्र जेठूसिंह** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम प्रतापसिंह पुत्र जेठूसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि मे बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जाच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि मे प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम **पृथ्वीराज पुत्र जेठूसिंह** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **प्रतापसिंह पुत्र जेठूसिंह** दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड मे दर्ज **प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम पृथ्वीराज पुत्र जेठूसिंह** के स्थान पर **प्रतापसिंह पुत्र जेठूसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **प्रतापसिंह पुत्र जेठूसिंह** है, जिसकी पुष्टि मे प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **पृथ्वीराज पुत्र जेठूसिंह** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम शिवतलाव तहसील बाली मे धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1404, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 कुल खसरा 14 कुल रकबा 4.0500 हैक्टर में **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम पृथ्वीराज पुत्र जेठूसिंह** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम प्रतापसिंह पुत्र जेठूसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड मे दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner